न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्याः–07 / 2019

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि ओमप्रकाश पुत्री रोशनलाल जाति मेघवाल सा.टीका खानपुर हि0प्र0
2. कृष्णादेवी पत्नि लोकविन्द्र पुत्री रोशनलाल जाति मेघवाल सा.टीका खानपुर हि0प्र0 –अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
2. सर्वजीतकौर पत्नि जगदीशसिंह
3. ज्ञानकौर पत्नि जसवन्तसिंह
4. परमजीतकौर पत्नि मोहरसिंह

पुत्रियां रोशनलाल जाति मेघवाल सा.टीका खानपुर तहसील जस्वा कोटला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

5. दलजीतसिंह
6. मनिन्दरसिंह
7. राजकुमार

पुत्रगण रोशनलाल जाति मेघवाल सा.टीका खानपुर तहसील जस्वा कोटला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

–रेस्पोंडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री धनवीरसिंह हुन्दल अधिवक्ता अपीलांटस
2. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता रेस्पो. 2 ता 4
3. श्री बाबूलाल चांडक अधिवक्ता रेस्पो0 5 ता 7
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय

दिनांकः–19.08.2020

यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ के प्र.सं.11 / 14 वसीयत इंतकाल दलजीतसिंह आदि बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2014 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा चक 3 एनआरडी –ए तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 83 / 316 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर क0 / अ0क0 भूमि वसीयत के आधार पर रेस्पो0 5 ता 7 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का अर्धन्यायाधीन आदेश दिनांक 20.02.2014 अपीलांट एवं रेस्पो. 2 ता 4 को सुने बिना, एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 के दादा एवं रोशनलाल के पिता गुरदिता वासी से टीका खानपुर में पैतृक सम्पति अपीलांट के पिता रोशनलाल को प्राप्त हुई और वह रकबा पोंग बांध में आने के कारण उक्त रकबा के स्थान पर चक 3 एनआरडी–ए तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 83 / 316 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर क0 / अ0क0 भूमि पोंग बांध विस्थापित के रूप में प्राप्त हुई। जो अपीलांट एवं रेस्पो0 की पैतृक सम्पति है। हमारे पिता रोशनलाल ने अपनी पत्नि कौशल्या के जीवन यापन के लिये सभी वारिसन की सहमति से पैतृक सम्पति की वसीयत अपीलांट की माता के नाम की गई तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त सम्पति में सभी वारिसान का हिस्सा बराबर का हक व हिस्सा निहित है। रकबा पैतृक होने के कारण अपीलांट की मात को उसके किसी प्रकार स्थानान्तरण करने का विधिक अधिकार नहीं था।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

3. अपीलांट व रेस्पो0 की आपसी सहमति से माता कौशल्यादेवी के नाम का उक्त रकबा जीवनपर्यान्त व उनकी मृत्यु के बाद सभी वारिसान का हो गया इसलिये विरास्ता इन्तकाल की कार्यवाही की गई। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत निरवाना ने विरास्तन समस्त दस्तावेज की जांच करने के बाद दिनांक 20.01.14 को आदेशि पारित किया गया तथा जिसकी नकल लेकर अपीलांट कांगड़ा चले गये। रेस्पो0 5 ता 7 ने तथाकथित वसीयत के आधार पर मातहत न्यायालय में कार्यवाही की जा रही थी तथा अपीलांट को उक्त तथाकथित वसीयत की जानकारी न हो इसके लिये पटवारी हल्का से मिलीभगत कर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाया गया। मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी तथा ना ही कोई नोटिस दिया गया। अपीलांट हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं जबकि सूरतगढ के लोकल दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया। विधि के सुस्थांपित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित हो इससे पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर कौशल्यादेवी के समस्त जायज वारिसान का कब्जा होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी तथ्यों को अनदेखा कर रेस्पो. 5 ता 7 के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट मृतक कौशल्यादेवी के प्रथम श्रेणी के वारिस है जिससे अपीलांट के हित प्रभावित हुए है तथा मौका पर हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। इसलिये अपीलांट हितबद्ध होने से अपील पेश करने के हकदार है, 96 सीपीसी का प्रा.पत्र संलग्न है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद है। मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथपत्र संलग्न है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 11/2014 दलजीतसिंह वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रैस्पों 2 ता 4 की ओर से श्री राजवीर भादू तथा रेस्पों. 5 ता 7 की ओर से श्री बाबूलाल चांडक अधिवक्ता हाजिर आ.। तत्पश्चात अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों को दोहराते हुए तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2014 अपीलांट एवं रेस्पो. 2 ता 4 को सुने बिना, एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 के दादा एवं रोशनलाल के पिता गुरदिता वासी से टीका खानपुर में पैतृक सम्पति अपीलांट के पिता रोशनलाल को प्राप्त हुई और वह रकबा पोंग बांध में आने के कारण उक्त रकबा के स्थान पर चक 3 एनआरडी–ए तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 83/316 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर क0/अ0क0 भूमि पोंग बांध विस्थापित के रूप में प्राप्त हुई जो अपीलांट एवं रेस्पो0 की पैतृक सम्पति है। हमारे पिता रोशनलाल ने अपनी पत्नि कौशल्या के जीवन यापन के लिये सभी वारिसन की सहमति से पैतृक सम्पति की वसीयत अपीलांट की माता के नाम की गई तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त सम्पति में सभी वारिसान का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा निहित हो गया। ग्राम पंचायत निरवाना द्वारा दिनांक 20.01.14 को विरास्तन इंतकाल निर्णित किया गया जो अपीलांट को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये दिनांक 05.02.14 को निरस्त कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण अपीलांट की माता कौशल्यादेवी को भूमि किसी भी तरीके से हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार नहीं था। प्रश्नगत भूमि मृतका कौशल्यादेवी को आवंटित नहीं होने से स्वअर्जित नहीं होना तथा मौका पर मृतक कौशल्यादेवी के समस्त जायज वारिस का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त में होना बताया है तथा वसीयत कर्ता को उक्त भूमि जरिये वसीयत प्राप्त होना हल्का पटवारी निरवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.12.2013 में अंकित किया है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है इसलिये 96 सीपीसी प्रा.पत्र सहित अपील प्रस्तुत की गई है तथा जानकारी से अन्दर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

मियाद है। मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रा.पत्र संलग्न है। अपीलांट हिमाचल प्रदेश के निवासी है तथा अधिनस्थ न्यायालय सूरतगढ़ द्वारा दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गई है जबकि सूचना हिमाचल प्रदेश के स्थानीय एवं प्रचलित दैनिक समचार पत्र में प्रकाशित करवाई जानी चाहिये थी तथा अपीलांट की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस भी जारी करना चाहिये था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। कानूनी नजीर RRD Feb- 2001 P-55, RRD MarchF 2002 P-111, RRD 1989 P-45, RRD Nov.2002 P-669, RRD 1991 P-492, RRD Aug.2002 P-445, RRT 2014(1) P-196, DNJ 2014(1) Revenue 57, RRT 2011(2) P-779 RRT 2016(1) P-296, RRT 2017(2) P-1401 प्रस्तुत की।

6. योग्य अधिवक्ता रेस्पों. 5 ता 7 ने बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील 4 वर्ष बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कारण नहीं बताया है। शपथपत्र तस्दीक नहीं है तथा हल्का पटवारी का शपथपत्र पेश नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून का अवलोकन किया जाकर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इसलिये अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाधित होने तथा गुणावगुण पर निरस्त फरमाई जावे तथा एकतरफा स्थगन निरस्त किया जावे। कानूनी नजीर RBJ(5)1998 P-443, RBJ (6)1999 P-3, RBJ 2007 P-111, RRT(2)2008 P-1099, RBJ 2007 P-119, RRT (7)2002 P-939, RRT 2014(1) P-154, RRT(Supp.)2006-07 P-59, RRT(1)2020 P-271, RRT(Supp.)2006-07 P-277 की ओर ध्यान दिलाया।

7. योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा कानूनी नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया।

8. सर्वप्रथम प्रकरण में 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना है। पत्रावली अनुसार प्रश्नगत भूमि रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 की माता कौशल्यादेवी के नाम दर्ज होना बताई गई है तथा मौका पर अपीलांट ने अपना कब्जा हिस्सा अनुसार होना बताया है तथा अपीलांट मृतका कौशल्यादेवी के प्रथम श्रेणी के जायज वारिस होना बताया है। उक्त तथ्यों को रेस्पो. द्वारा प्रति शपथपपत्र प्रस्तुत किया जाकर इन्कार नहीं किया गया है। प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध प्रतीत होते है। इसलिये अपीलांट अपील प्रस्तुत करने के हकदार प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी अपीलांटगण स्वीकार किया जाता है।

9. अधिवक्ता रेस्पो. 5 ता 7 द्वारा अपील अपीलांट देरी से प्रस्तुत किया जाना बताई गई है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत इन्तकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 20.02.14 को आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना प्रकट नहीं होता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अपीलांट एवं रेस्पो0 2 ता 7 हिमाचल प्रदेश के निवासी है तथा विवादित भूमि तहसील सूरतगढ की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत प्रकरण की सुनवाई हेतु अपीलांट व रेस्पो0 2 ता 4 को किसी प्रकार का व्यक्तिगत नोटिसजारी किया गया हो, यह अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से कतई प्रकट नहीं होता है। सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र दैनिक हाईलाईन में प्रकाशित करवाई गई है जो सूरतगढ़ का स्थानीय समाचार पत्र है, क्षेत्र का प्रचलित दैनिक समाचार पत्र नहीं है। जबकि पक्षकार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले है। सार्वजनिक सूचना हिमाचल प्रदेश के प्रचलित स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवानी चाहिये थी,जो नहीं करवाई गई। इससे प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.02.14 अपीलांट की बिना सुनवाई किये पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में देरी होना किसी प्रकार की बाधा नहीं है। हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने पारित किये गये निर्णय की कभी भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालयों की कई नजीरें आ चुकी है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका खंडन रेस्पो. 5 ता 7 द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलांटस अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पो. 5 ता 7 द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है।

10. पत्रावली में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति विरासतन इन्तकाल सं. 89 अनुसार चक 3 एनआरडी–ए तहसील सूरतगढ़ के प0नं0 83/316 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर क0/अ0क0 पोंग बांध विस्थापित खातेदारी भूमि का इ0सं0 89 जो दिनांक 20.01.14 को सरपंच ग्राम पंचायत निरवाना द्वारा कौशल्यादेवी बेवा रोशनलाल के फौत होने के बाद उसके वारिसान अपीलांट व रेस्पो. 2 ता 7 के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक किया जाकर निर्णित किया गया तथा इसके बाद उक्त इन्तकाल दिनांक 06.02.14 को पुर्नविचार किया जाकर निरस्त किया जाना प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार दलजीतसिंह महेन्द्रसिंह राजकुमार पुत्रगण कौशल्यादेवी पत्नि रोशनलाल जाति मेघवाल साकिन भुढाल ग्राम निरवाना द्वारा अपीलकृत भूमि की कौशल्यादेवी द्वारा दिनांक 25.06.2010 को अपने पक्ष में की गई वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के रामक्ष दिनांक 18.11.13 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा उक्त प्रा0पत्र पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी निरवाना द्वारा दिनांक 29.12.13 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चक 3 एनआरडी–ए प0नं0 83/316 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर क0/अ0क0 भूमि कौशल्यादेवी बेवा रोशनलाल के नाम पोंग बांध विस्थापित खातेदार दर्ज है तथा उक्त भूमि रोशनलाल पुत्र गुरदिता सा.टीका को आवंटित हुई थी। रोशनलाल ने अपनी पत्नि कौशल्यादेवी को यह रकबा वसीयत में दिया था। वसीयतकर्ता कौशल्यादेवी को उक्त रकबा वसीयत में प्राप्त हुआ था। वसीयत की गई भूमि मृतक की स्वअर्जित भूमि नहीं है वसीयतकर्ता को उक्त रकबा आवंटित नहीं हुआ था। वर्तमान में उक्त रकबा पर वसीयतकर्ता के वारिसान काबिज है। रिपोर्ट हल्का पटवारी से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि रोशनलाल को आवंटन हुई थी तथा रोशनलाल द्वारा जरिये वसीयत अपनी पत्नि कौशल्यादेवी के नाम हस्तान्तरण की गई थी। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि मृतका कौशल्यादेवी की स्वअर्जित सम्पति नहीं थी। कानूनन वसीयत उसी भूमि की निष्पादित की जा सकती है जो वसीयतकर्ता की स्वंअर्जित सम्पति हो। हल्का पटवारी द्वारा मौका पर मृतका के समस्त वारिसान का कब्जा बताया है। हल्का पटवारी द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि प्रश्नगत भूमि कौशल्यादेवी की स्वअर्जित नहीं है वसीयत से प्राप्त हुई है। इसके उपरांत भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए तथा रेस्पो. को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वसीयत के आधार पर रेस्पो. 5 ता 7 के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये है। प्रश्नगत भूमि मृतका कौशल्यादेवी पत्नि रोशनलाल की स्वअर्जित नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने हेतु पारित निर्णय दिनांक 20.02.2014 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुंनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अंधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner